


10/12/25

पत्रावली आज पेश हुई। पार्थीगण
व उनके वकील अनुपस्थित। मूल
वाद का नित्यारण हो चुका है। मूल
वाद का नित्यारण होने से पार्थीग पत्र
अलग से चलाने जाने का कोई औचित्य
नहीं होने से मूल वाद के साथ-
पार्थीग पत्र दलील दस्त पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली प्रसल सुमार
होकर डाकिले डफ्तर हो एवम् नम्बर
से कम हो।


सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

